न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0)

मु0 संख्या :– 41 / 2020

प्रार्थी		अप्रार्थी
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर	बनाम	1. श्री रावलसिंह राजपुरोहित पुत्र किशनसिंह राजपुरोहित उम्र 35 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम बामणू तहसील पोकरण जिला जैसलमेर। मेसर्स रावलसिंह राजपुरोहित मिष्ठान भण्डार का कारखाना, झूला पालना के पास, रामदेवरा जिला जैसलमेर (राज.)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011)

उपस्थित :–

1. खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. श्री रावलसिंह राजपुरोहित की ओर से अधिवक्ता श्री तरूण कुमार परिहार।

:: **आदेश** :: दिनांकः 29.10.2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थीगण के विरूद्व न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। यह है की प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.07.2019 को 11:00 एएम पर मेसर्स रावलसिंह राजपुरोहित मिष्ठान भण्डार का कारखाना, झूला पालना के पास, रामदेवरा जिला जैसलमेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी मेसर्स रावलसिंह राजपुरोहित मिष्ठान भण्डार का कारखाना, झूला पालना के पास, रामदेवरा जिला जैसलमेर दुकान/संस्थान पर विक्रेता श्री रावलसिंह राजपुरोहित पुत्र किशनसिंह राजपुरोहित कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर नहीं होना बताया। अप्रार्थी मौके पर निरीक्षण के समय दुकान में बून्दी के लड्डू रिफाइण्ड सोयाबिन तेल से निर्मित के 02 किलो का खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था। प्रार्थी द्वारा विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या ए5 की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात लड्डू रिफाइण्ड सोयाबिन तेल से निर्मित के 02 किलो नमूने वास्ते लिये जिसके पेटे 300 रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद सुदा लड्डू रिफाइण्ड सोयाबिन तेल से निर्मित के चार नमूने बराबर बराबर भागो में भरकर प्रत्येक डिब्बे में परिरक्षक फॉरमुलिन की 20–20 बुंदे मिलाकर ढक्कन से बंद कर के नमूने लिये प्रत्येक को लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर चिपकाए एवं लेबलो पर डीओं कोड एवं कमांक नम्बर एन–956 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ, जैसलमेर की हस्ताक्षर सुदा पेपर स्लीप एन–956 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप ऊपर धागे

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

से बाधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मुहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद पदार्थ का विवरण एन–956 लड्डू रिफाइण्ड सोयाबिन तेल से निर्मित लिख कर हस्ताक्षर किये। चारो नमूनो भागो को अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को श्री उमेश पारीक, आशा सुपरवाईजर के द्वारा दिनांक 26.08.2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 27.08.2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2019/13605–07 दिनांक 25.09.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./682/Act/2019/736 दिनांक 04.09.2019 अनुसार उक्त नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2019/स्वी./एन–956/ दिनांक के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विक्रेता 1. श्री रावलसिंह राजपुरोहित पुत्र किशनसिंह राजपुरोहित उम्र 35 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम बामणू तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 2. मेसर्स रावलसिंह राजपुरोहित मिष्ठान भण्डार का कारखाना, झूला पालना के पास, रामदेवरा जिला जैसलमेर ने सबस्टैण्डर्ड लड्डू रिफाइण्ड सोयाबिन तेल से निर्मित का विक्रय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री तरूण कुमार परिहार परिवाद के संबंध में जबाब में कथन किया गया है कि परिवाद के अनुच्छेद संख्या 01 विधिक होने से प्रार्थी अथवा विभाग स्वयं साबित करे। अनुच्छेद संख्या 02 व 03 में वर्णित तथ्य अस्वीकार होना बताया है। अनुच्छेद संख्या 04 में वर्णित तथ्य अस्वीकार होना बताया है। अप्रार्थी की दुकान झुला पालना के पास, रामदेवरा में आई हुई है रामदेवरा में आए दिन जातरूओ व भक्तो की कतारे लगी रहती है, भीड भाड के चलते किसी जात्रु या भक्त का सामान (प्रसाद) प्रार्थी की दुकान में पडा था, उसमें उक्त पदार्थ हो सकता है। अप्रार्थी का उसमें कोई लेना देना नही होना बताया गया है। अनुच्छेद संख्या 05 में वर्णित तथ्य अस्वीकार होना बताया है। अनुच्छेद संख्या 05,06,07,08 व 09 में वर्णित तथ्य प्रार्थी स्वयं साबित करे। अप्रार्थी गरीब व निर्धन परिवार से है, दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन बसर करता हैं अतः अप्रार्थी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

हुए प्रकरण का निस्तारण कर अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विवेचन पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./682/Act/2019/736 दिनांक 04.09.2019 के अनुसार लड्‌डू रिफाइण्ड सोयाबिन तेल से निर्मित का उक्त नमूना अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) पाया गया हैं। वही अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब संतोषप्रद प्रतित नही होता है तथा अप्रार्थी अपने जबाब के समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पा रहा है। जिससे अप्रार्थी पर अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) स्तर के लड्‌डू रिफाइण्ड सोयाबिन तेल से निर्मित का विक्रय करने के लिए दोष साबित है। अप्रार्थी द्वारा खाद्यय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी श्री रावलसिंह राजपुरोहित जो मेसर्स रावलसिंह राजपुरोहित मिष्ठान भण्डार का कारखाना, झूला पालना के पास, रामदेवरा जिला जैसलमेर फर्म के प्रापराईटर द्वारा अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) स्तर की खाद्य वस्तु लड्‌डू रिफाइण्ड सोयाबिन तेल से निर्मित विक्रय के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी संख्या 01 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

Scanned by CamScanner